

न्यायालय तहसीलदार गडसरोड़, जिला बाडमेर

राजस्व प्रकरण संख्या ०५/१३ राजस्थान गू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये

बनाम

श्री अगतसिंह पुत्र चूरुसिंह

पटवारी हल्का गिराठ

जाति राजपूत निवासी गिराठ
तहसील गडसरोड़ जिला बाडमेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गडसरोड़ में पेश हुई गैरसायल की उप/अनु. 1 पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गिराठ ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम गुरुसिंह के खसरा नंम्बर 645 रकवा 2450-08 बीघा में से 14 बीघा किरम को राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कारत किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलव किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।


अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमि घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से वेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पूर्णांक का 50 गुणा जुर्माना राशि रुपये 50 अक्षरे पचास रुपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

टी. आर. ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी. आर. ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जाये।

निर्णय दिनांक 27.05.19 को सरेआम सुनाया गया।


तहसीलदार गडसरोड़
तहसीलदार गडसरोड़

जुमाना 50/- फसल नि. 9600/-
कुल योग 2650/- रजि. के पृष्ठ सं. 84
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया


तहसील राजस्व लेखाकार